CONTROVERSY OF THE WEEK वॉट्सएप पर पेपरलीक और सोशल साइट्स के जरिए वायरल हो रहे झूठे वीडियो

सोशल मीडिया: लगाम कितनी जरूरी?

वायरल हो रहे फेक वीडियो और वॉट्सएप पर लीक हो रहे पेपरों ने एक बार फिर सोशल मीडिया को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं?

केस-1 शिक्षा और अपराध

पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर का अप्लाइड फिजिक्स का पेपर वॉट्सएप पर लीक हो गया। इससे पहले एसएसई, एनईईटी और बीएसएसई के पेपर भी लीक हो चुके हैं। इस कारण परीक्षा करनी पड़ी रद्द।

केस-2 राजनीति और मीडिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर हो रहे विवाद के पीछे सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक इंटरव्यू को आधार बताया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला के साथ नरेंद्र मोदी का एक पुराना इंटरव्यू काटछांट कर अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ा।

केस-3 खेल और जनभावनाएं

रियो ओलिंपिक से सुशील कुमार का नाम कटने के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुशील ट्रेंड कर रहा है। लोग सुशील कुमार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और खेलमंत्री सर्वदानंद सोनवाल पर निशाना साध रहे हैं।

अभिव्यक्ति की आजादी किस हद तक?

अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर हर किसी का अपना नजरिया है। अतिवादी तत्वों के नियंत्रण के लिए शासकीय दखल को इस मंच पर सक्रिय जमात अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात बता रहे हैं, वहीं सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग इस पर पाबंदी की सीमा तय कर मर्यादा की चारदीवारी तय करने में लगे हैं। सूचना क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया और इससे जुड़े मामलों पर नियंत्रण के लिए फिलहाल एक ही कानून है। सरकार इसके लिए आईपीसी जैसे कानून को तवज्जो देने में लगी है, जबकि इसे आजादी पर हमला बताने वाले कह रहे हैं कि आईटी कानून के मौजूद रहते हुए सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए किसी दूसरे कानून की आवश्यकता नहीं है। नए कानून को बनाने का मतलब है कि पुराने कानून निराधार और बेकार हैं। आईटी मामलों के जानकार कहते हैं कि भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल समाज के हर तबके से जुड़े लोग कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इसकी संवेदनशीलता से पूरी तरह या कहा जाए कि बिलकुल भी वाकिफ नहीं हैं। यह लोग सिर्फ दूसरों की देखादेखी फेसबुक और ट्विटर पर सक्रिय हैं।

यह तीन अलग-अलग केस बताते हैं कि सोशल मीडिया किस तरह से हमारी हर गतिविधि में हिस्सा बन चुका है। लेकिन शुरुआती दौर से ही सोशल मीडिया के उपयोग और दुरुपयोग को लेकर बहस जारी है। इन्हीं प्रभावों को देखते हुए एक बार फिर सोशल मीडिया की सेंसरशिप को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया का प्लेटफार्म सिर्फ व्यक्तिगत जानकारियों के लिए ही प्रयोग में नहीं लाया जाता बल्कि राजनीतिक और सामाजिक मामलों में लोगों की रुचि का भी काम करता है। सोशल मीडिया एक तरह से दुनिया के विभिन्न कोनों में बैठे उन लोगों से संवाद है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है। इसके जरिए ऐसा औजार पूरी दुनिया के लोगों के हाथ लगा है, जिससे वे न सिर्फ अपनी बातों को दुनिया के सामने रखते हैं, बल्कि दूसरों की बातों सहित दुनिया की तमाम घटनाओं से अवगत भी होते हैं। इसके साथ ही इसकी मदद से यूजर हजारों हजार लोगों तक अपनी बात महज एक क्लिक की सहायता से पहुंचा सकता है।

20
विकसित और विकासशील देशों पर हुए सर्वे के मुताबिक भारत साइबर क्राइम में 11वें स्थान पर है।

2015
में तीन लाख से ज्यादा साइबर अपराध भारत में दर्ज हुए जबकि दशक की शुरुआत में यह आंकड़ा महज 13000 का था।

23
गुना अपराध बढ़ा है पिछले पांच सालों में सोशल मीडिया के जरिए।

हालिया घटनाओं पर दो धड़े

पिछले दिनों हैदराबाद विश्वविद्यालय और जेएनयू विवाद जैसी चीजों में भी सोशल मीडिया का काफी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान इस मंच पर मौजूद लोगों का एक तबका सरकार के पक्ष में खड़ा रहा तो कई लोग विरोधियों का समर्थन भी करते पाए गए। इसी तरह से पिछले साल बहराइच में भी सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के नाम पर 7युवाओं को गिरफ्तार किया गया था। इस पर एक पक्ष का कहना कि सोशल मीडिया पर विरोध को महज सांप्रदायिकता का भय दिखाकर रोकना न्याय के समान संरक्षण के खिलाफ है। वह कहते हैं कि एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सोशल मीडिया पर न सिर्फ अपनी सरकार की नीतियों का जिक्र करते हैं बल्कि समर्थकों और विरोधियों के साथ हंसी मजाक भी साझा करते हैं, जबकि भारत में भी कमोबेश यह स्थिति है कि सिर्फ सत्ताधारी सियासी जमात अपनी आलोचना को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान बैठती है। वहीं दूसरा पक्ष इन हादसों के बाद हुए नुकसान को आंकड़ों के तौर पर पेश करते हुए स्वतंत्रता की सीमा रेखा तय करने को लेकर अड़ा हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक सरकार और समाज दोनों को इस बारे में अपनी अपनी सीमारेखाएं खुद तय करनी चाहिए, क्योंकि साइबर जगत में गोते लगाते समाज को कानून के डंडे से काबू में करने की कोशिश अव्यवहारिक साबित होगी।

फायदों को नकारा नहीं जा सकता

सोशल मीडिया पर सेंसरशिप की कवायद के बीच एक धड़ा इसके फायदों को भी कम नहीं आंकने की बात कह रहा है। उनके मुताबिक सोशल मीडिया गप्पें मारने के लिए बना है। सोशल मीडिया एक तरह का समुद्र है, जिस पर सेंसरशिप लगाना आसान नहीं है।

विचारों की आजादी पर पाबंदी और इसके इस्तेमाल पर मूल्य निर्धारण जैसी चीजें उचित नहीं होंगी। सोशल मीडिया के बारे में एक ठोस पॉलिसी की जरूरत है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर लोगों को शिक्षित करना भी जरूरी है। कानून तो बना लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें मौजूदा माहौल में ढलने में, यानी पूरी तरह से लागू होने में वक्त लगता है। सोशल मीडिया एक तेजी से ग्लोबल सर्कुलेट होने वाला माध्यम है और बड़ी बात कि यह बिलकुल भी महंगा नहीं है। हालांकि इसकी इसी खूबी को कुछ लोग इसकी सबसे बड़ी खामी बता रहे हैं। ग्लोबल और तेजी से सर्कुलेट होने के इसी कारण की वजह से अफवाहें और दुर्भावनाएं इसके जरिए तेजी से फैलती हैं। हालांकि नकारात्मक एवं सकारात्मक सोच के लोग इसी समाज में रहते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस सोच के साथ एवं कैसे किया जाए समाज में यह हमें ही तय करना है।

एक्सपर्ट - **वरुण कपूर**, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, साइबर सेल एवं नारकोटिक्स